

कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर

क्रमांक :- 2255/21

दिनांक : 18/05/21

1. श्रीमती सुनीता अग्रवाल पत्नी श्री सुरेश कुमार अग्रवाल
2. श्रीमती अंजू अग्रवाल पत्नी श्री सुनिल कुमार
3. श्रीमती किरण पत्नी श्री कमल किशोर अग्रवाल
4. श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री गोपालदास निवासी 254, आर्यनगर, अलवर

विषय :- खसरा नंबर 180 ग्राम सामोला क्षेत्रफल 1.08 है० जिला अलवर के आवासीय योजना का ले-आउट प्लान स्वीकृति बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि खसरा नंबर 180 ग्राम सामोला क्षेत्रफल 1.08 है० जिला अलवर के आवासीय योजना का ले-आउट प्लान स्वीकृति हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन किया गया है। ले आउट समिति की बैठक दिनांक 24.02.21 के निर्णयानुसार 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल तक स्वतंत्र आवासीय (प्लॉटेड डवलपमेन्ट) योजना में विक्रय क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत के बराबर भूमि की राशि ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवासों की एवज में विकासकर्ता से राशि लिये जाने का प्रावधान है। विकासकर्ता द्वारा 10 प्रतिशत राशि 31.08.054/-रु० एवं बाह्य विकास शुल्क की राशि 10,80,000/- रु० कुल राशि 41,88,054/-रु० जर्ज 2947/44 दिनांक 16.04.2021 को न्यास में जमा करा दी गई है। अतः ले-आउट प्लान निम्न शर्तों पर स्वीकृत किया जाता है :-

01. राज्य सरकार/न्यास द्वारा जारी टाऊनशिप पॉलिसी व प्रचलित भवन विनियमों के दिये गये निर्देशों की विकासकर्ता को पालना करनी होगी।
02. राज्य सरकार/न्यास द्वारा कोई राशि की मांग की जाती है तो जमा करानी होगी।
03. सड़क भाग में आने वाली भूमि को निःशुल्क समर्पित करने का शपथ पत्र दिनांक 06.04.2021 को प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अंकित शर्तों की पालना करनी होगी।
04. आन्तरिक विकास कार्य विकासकर्ता द्वारा 18 माह में पूर्ण करना होगा। जिसका शपथ पत्र दिनांक 06.04.2021 में अंकित शर्तों की पालना करनी होगी।
05. नियमानुसार भूखण्डों के पट्टे प्राप्त कर भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
06. टाऊनशिप पॉलिसी के प्रावधान अनुसार योजना का विकास कार्य पूर्ण करना होगा।
07. आन्तरिक विकास हेतु भूखण्ड संख्या 9, 10, 42, 44, 45, 46, 47, 56 जिसका क्षेत्रफल 826.44 वर्गमीटर का 12.5 प्रतिशत भूमि न्यास के पक्ष में रहन रखी गई है। आन्तरिक विकास पूर्ण होने पर न्यास द्वारा मौके से सत्यापन के पश्चात रहन रखे हुए भूखण्ड न्यास द्वारा रहन से मुक्त किये जावेगे। विकासकर्ता द्वारा 12.5 प्रतिशत भूमि रहन रखे गये भूखण्डों को विक्रय नहीं किया जावेगा। प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 20.04.2021 में अंकित शर्तों की पालना करनी होगी।
08. टाऊनशिप पॉलिसी के प्रावधान अनुसार योजना का विकास कार्य 18 माह में पूर्ण करना होगा। नियमानुसार पूर्णता/अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
09. सेक्टर प्लान/जोनल डवलपमेन्ट बनाते समय स्वीकृत ले-आउट प्लान के क्षेत्र को जोनल प्लान में समायोजित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
10. एकीकृत भवन विनियम/टाऊनशिप पॉलिसी के अनुसार एस.टी.पी. एवं वर्षा जल संरक्षण का नियमानुसार प्रावधान करना होगा।
11. डवलपर्स को नियमानुसार RERA (Real estate Regulatory Authority) में पंजीयन कराना होगा।
12. स्वीकृत ले-आउट प्लान में अंकित सुविधा क्षेत्र की भूमि को डवलपर्स द्वारा विक्रय नहीं किया जावेगा।

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
अलवर

उप नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
अलवर

अधिसाक्षी अभियन्ता
नगर विकास न्यास
अलवर

सेवि
नगर विकास न्यास
अलवर
दिनांक:

क्रमांक:

प्रतिलिपि :-

01. अधिसाक्षी अभियन्ता, न्यास, अलवर को वास्ते सूचनार्थ।



उप नगर नियोजक
(सदस्य सचिव)
नगर विकास न्यास, अलवर

LAY OUT PLAN OF RESIDENTIAL IN KH. NO. :- 180 VILLAGE SAMOLA TEHSIL & DISTT. ALWAR SITUATED ON MAIN ITARANA ROAD

SCALE :- 1CM = 3.0 M.

DRG. NO. :- 1

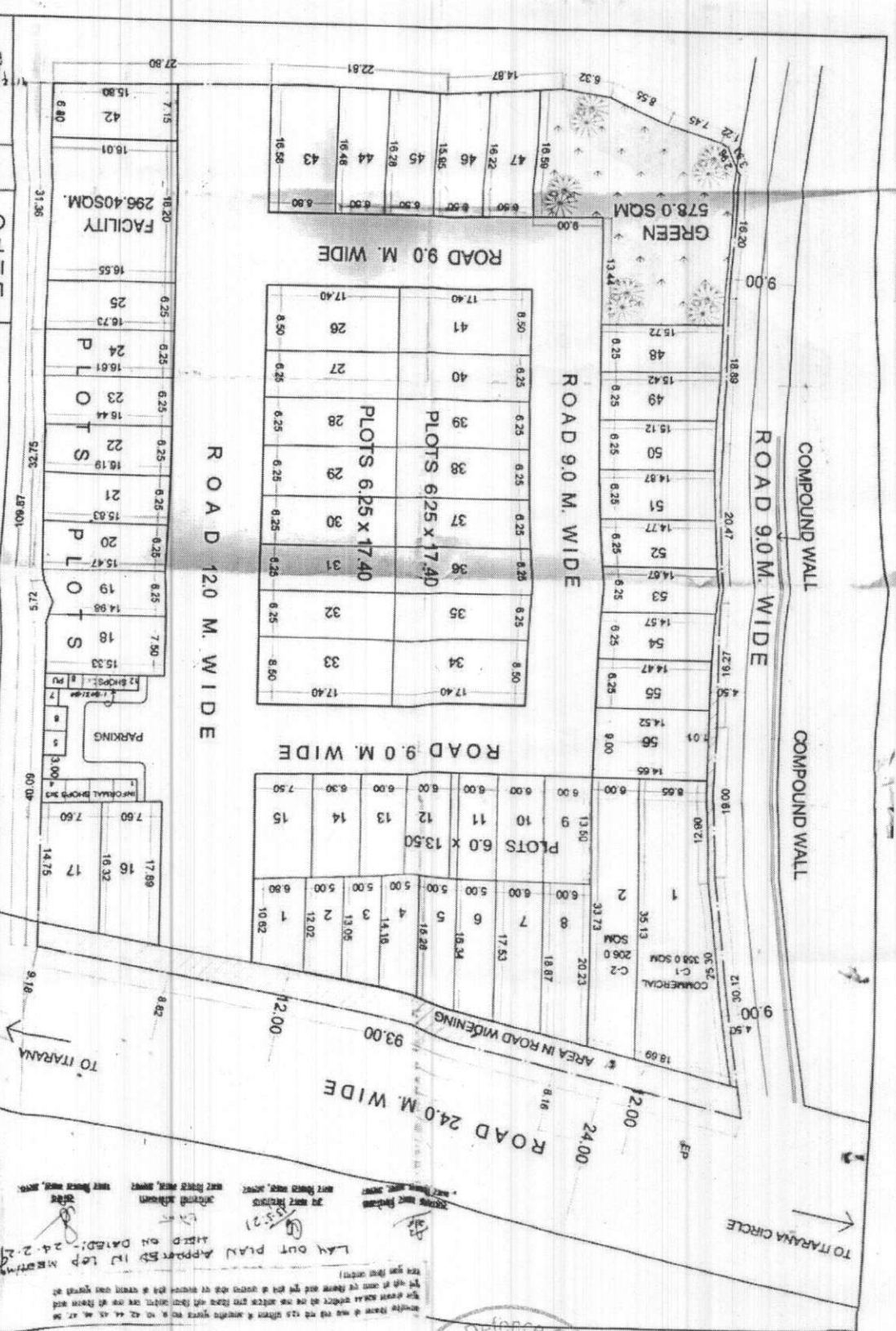
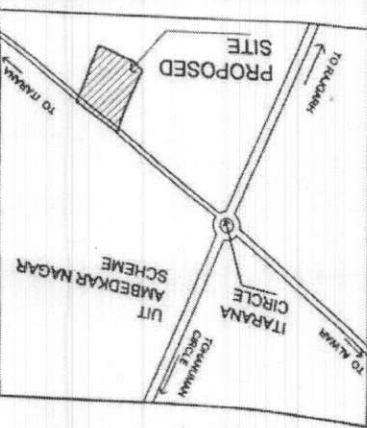
SIG. OF ARCH/ENG.

SIG. OF APPLICANT

NOTE :-
 (1) SCHEME AREA SHOWN
 (2) AREA IN ROAD WIDENING

AREA ANALYSIS :-

S.NO.	ITEM	AREA IN SOM.	PERCENTAGE
1	RESIDENTIAL	5783.50	53.55%
2	COMMERCIAL	564.00	5.31%
3	GREEN	578.00	5.35%
4	FACILITY / PU	302.00	2.80%
5	CIRCULATION	3498.40	32.39%
	TOTAL AREA	10800.00	100.00%



LAY OUT PLAN APPROVED BY LOP M. R. SINGH
 DATED ON 24.2.20

FOR MORE DETAILS SEE THE LAY OUT PLAN AND THE LAY OUT PLAN NO. 180 OF 2019 AT THE OFFICE OF THE DISTRICT ENGINEER, ALWAR.

